ग्राम पंचायत कच्छियारी, विकास खण्ड भवारना, ज़िला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग-एक

1. प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत कच्छियारी, विकास खण्ड भवारना, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमति रजिन्दर कौर	01/04/2022 से 31/03/2024

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री संजय कुमार	01/04/2022 से 31/03/2024

तकनीकी सहायक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री संजीव कुमार	01/04/2022 से 11/10/2022
2.	श्री चंद्रजीत सिंह	12/10/2022 से 31/03/2024

ग्राम रोजगार सेवक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1 .	श्री श्रवण कुमार	01/04/2022 से 31/03/2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत कच्छियारी के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1.	4.1	रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में अन्तर पाया जाना	**0.46**
2.	4.3	दिनांक 31.03.2024 को सभा निधि एवं अन्य अनुदानों की रोकड़ बही अनुसार नियमों के विपरीत निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत नकद शेष का पाया जाना	**0.80**

3.	6	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	**10.37**
4.	7	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	**0.03**
5.	8.1	आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण सरकार को रॉयल्टी के रूप राजस्व की संभावित वित्तीय हानि एवं लाखों रूपये के अनियमित भुगतान की आंशका	**0.95**
6.	8.2	औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	**0.71**
7.	8.3	स्थायी व अस्थायी भण्डार का भंडारण पुस्तिकाओं में इन्द्राज न करना	**14.45**
8.	8.4	13वां वित्त आयोग रोकड़ बही में अनुचित/असमर्थित प्रविष्टियाँ पाया जाना	**8.31**
9.	8.5	आपूर्तिकर्ता के बिलों से स्त्रोत पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. की अपेक्षित कटौती न करना	**0.24**
10.	9	निर्माण कार्य Children Park Ward No 2 में अधिक/अनियमित भुगतान की अंकेक्षण के दौरान वसूली करना	**0.05**
11.	10.3	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे	**0.04**

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत कच्छियारी का अंकेक्षण अवधि 01/04/2018 से 31/03/2019 के लिये किया गया था, जिसके शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्नलिखित है:-

1 अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2018 से 31/03/2019 तक

क्र० सं०	पैरा सं०	नवीनतम स्थिति
1	3	निर्णित (मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर से पुष्टि करने के उपरान्त पृष्ठ संख्या 256)
2	4	निर्णीत (नवीनतम वित्तीय स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित)
3	5	अनिर्णित
4	6	अनिर्णित
5	7	निर्णीत (नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित)
6	8	अनिर्णित
7	9	अनिर्णित
8	10 (i), (ii)	अनिर्णित
9	11	अनिर्णित
10	12	निर्णीत (नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित)

11	13	अनिर्णित
12	14	अनिर्णित
13	15	अनिर्णित
14	16	अनिर्णित
15	17	निर्णीत (नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित)
16	18	अनिर्णित
17	19	अनिर्णित

भाग – दो

2. वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत कच्छियारी, विकास खण्ड भवारना, ज़िला काँगड़ा के अवधि 01/04/22 से 31/03/234 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री दीपक सिंह पठानिया, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 03.08.2024 से 16.08.2024 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय (माह)	व्यय (माह)
2022-23	03/2023	05/2022
2023-24	03/2024	07/2023

<u>अस्वीकरण (Disclaimer):</u> - ***इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।***

3. अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹5600/- आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला - 171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 08/2024/कच्छियारी दिनांक 16.08.2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 19 दिनांक 16.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार कार्यवाही कर शीघ्र ही शुल्क की अदायगी कर दी जाएगी।

4. वित्तीय स्थिति:-

(क) पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 21/2024 दिनांक 03.08.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट - "क"** और **"ख"** में दिया गया है:-

1. स्व: स्त्रोत:-

अवधि	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (कालम 2+3) (₹)	व्यय (₹)	अन्तशेष (कालम 4-5) (₹)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2022-23	195221.52	104917.00	300138.52	90717.00	209421.52
2023-24	209421.52	76602.00	286023.52	76936.14	209087.38

2. अनुदान:-

अवधि	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹) (कालम 2+3)	व्यय (₹)	अन्तशेष (₹) (कालम 4-5)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2022-23	2700394.43	7647616.00	10348010.43	7678373.00	2669637.43
2023-24	2669637.43	2709037.00	5378674.43	4341422.66	1037251.77

कुल योग (1+2) = 209087.38 + 1037251.77 = **1246339.15**

(ख) बैंक समाधान विवरणी:-

ग्राम पंचायत की दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति के अन्तशेष **₹12,46,339.15** तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि के अन्तशेष **₹12,00,828.05 (परिशिष्ट - "ग")** से सम्बन्धित विवरणी निम्नानुसार है:-

क्र०	**अनुदान**	**बैंक**	**खाता संख्या**	**बैंक अंत शेष 31.03.24 को**
1	सभा निधि (Own Source)	KCCB कांगड़ा	20033022552	119444.86
2	सभा निधि (Own Source)	**बैंक ऑफ**	60155048110	25426.00

		महाराष्ट्र कांगड़ा		
3	सभा निधि (Own Source)	हि.ग्रा.बैंक कांगड़ा	0120466	42699.42
4	5वां राज्य वित्त (5th SFC)/राज्य आपदा राहत कोश (SDRF)/ मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना (MMGPY)	KCCB कांगड़ा	50055764482	244012.77
5	इंदिरा आवास योजना (IAY)	KCCB कांगड़ा	50055764391	3072.00
6	विधायक क्षेत्र विकास निधि (VKVNY)	KCCB कांगड़ा	50055764460	23943.00
7	क्षेत्रिय विकेंद्रीकृत योजना (SDP)	**बैंक ऑफ महाराष्ट्र कांगड़ा**	60155048041	870.00
8	13 वां वित्त आयोग (13th FC)	KCCB कांगड़ा	50055764493	0.00
9	15 वां वित्त आयोग (15th FC)	केनरा बैंक मारंडा	50100347348803	661032.00
10	हस्तगत शेष (स्व स्त्रोत)			18052.00
11	हस्तगत नकद शेष (5th SFC)			12276.00
12	हस्तगत नकद शेष (13th FC)			50000.00
	बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का कुल योग :			1200828.05
	दिनांक 31.03.2024 को बैंक एवं रोकड़ बही के शेषों में परस्पर अन्तर			
	रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति पैरा4(क) के अनुसार अन्तशेष :-			**₹12,46,339.15**
	पंचायत के बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेष:-			**₹12,00,828.05**
	अंतर :-			**₹45,511.10**

नोट :- अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

4.1 रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में राशि ₹0.46 लाख का अन्तर पाया जाना:-

रोकड़ बहियों के अंकेक्षण पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश

पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों को रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में दिनांक 31.03.2024 को उपरोक्त पैरा 4 के अनुसार **₹45,511.00** की राशि का अन्तर बैंक में कम जमा के रूप में पाया गया, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/कच्छियारी दिनांक 16.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 16 दिनांक 16.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार रोकड़ बहियों का बैंक शेषों से मिलान कर लिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: अन्तर के कारणों बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

4.2 स्कीमवार पृथक बैंक खाते न खोलने बारे: -

निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच.-एच.ए. (5)सी (15)-(13) (एल) 5-47005-81 दिनांक 15.02.2012 के अनुसार स्कीम वाईज खाते खोले जाने का प्रावधान है।

अंकेक्षण दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा नियमानुसार/निर्देशानुसार बैंक खातों का संचालन नहीं किया जा रहा था व अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार निम्नलिखित अनुदानों के लिए संयुक्त बैंक खाता एवं एक से अधिक बैंक खाता खोलने संबंधी आपत्ति पाई गई:-

क्र०सं०	अनुदान शीर्ष	बैंक	खाता सं०
1.	सभा निधि (Own Source)	KCCB कांगड़ा	20033022552
2.	सभा निधि (Own Source)	बैंक ऑफ महाराष्ट्र कांगड़ा	60155048110
3.	सभा निधि (Own Source)	हि.ग्रा.बैंक कांगड़ा	0120466
4.	5वां राज्य वित्त (5th SFC), राज्य आपदा राहत कोष (SDRF) व मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना (MMGPY)	KCCB कांगड़ा	50055764482

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा बैंक खातों का संचालन वर्णित नियमों एवं निर्देशों के विरुद्ध है जिस कारण 5वां राज्य वित्त (5th SFC), राज्य आपदा राहत कोश (SDRF) और मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना (MMGPY) अनुदानों के आरंभिक शेष व अंत शेष की पुष्टि नहीं की जा सकी। यह पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/कच्छियारी दिनांक 16.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 16 दिनांक 16.08.2024 द्वारा उत्तर दिया

गया कि भविष्य में नियमानुसार स्कीमवार अनुदानों के पृथक बैंक खाते खोल लिए जाएंगे व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः सभा निधि हेतु तीन खाते खोलने तथा उक्त तालिका के क्रय 4 हेतु संयुक्त खाता खोलने बारे तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये व सभा निधि, 5वां राज्य वित्त (5th SFC), राज्य आपदा राहत कोष (SDRF) और मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना (MMGPY) अनुदानों का पृथक बैंक खाता खुलवा कर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.3 दिनांक 31.03.2024 को सभा निधि एवं अन्य अनुदानों की रोकड़ बही अनुसार निर्धारित सीमा से अधिक राशि ₹0.80 लाख का हस्तगत नकद शेष पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 10(3) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा ₹1000/- तक की राशि ही इम्प्रेस्ट (अग्रदाय) रूप में रखी जा सकती है।

अंकेक्षण अवधि के दौरान पाया गया कि सभा निधि, 5 वां राज्य वित्त आयोग व 13वां वित्त आयोग की रोकड़ बहियों अनुसार दिनांक 31.03.2024 को प्रावधित सीमा से अधिक कुल नकद राशि **₹80,328.00** को हस्तगत रखा गया था व इसके अलावा दृष्टांत मामलों में चयनित माह में भी रोकड़ बही अनुसार प्रावधित सीमा से अधिक हस्तगत नकद शेष पाया गया जिसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है, जो कि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है :-

क्र०सं०	चयनित माह	दिनांक	हस्तगत नकद शेष (सभा निधि)	हस्तगत नकद शेष (5th State)	हस्तगत नकद शेष (13 th FC)
01	05/2022	30.05.2022	17365.00	0.00	50000.00
02	03/2023	31.03.2023	20272.00	12276.00	50000.00
03	07/2023	28.07.2023	19737.00	12276.00	50000.00
04	03/2024	**31.03.2024**	18052.00	12276.00	50000.00

ANNUAL REPORT

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/कच्छियारी दिनांक 16.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 16 दिनांक 16.08.2024 द्वारा उत्तर दिया गया कि सभा निधि में बकाया हस्तगत नकद शेष को आगामी वित्त वर्ष में जमा करवा दिया गया है, इसके अलावा 5th State एवं 13 th FC में बकाया हस्तगत शेष केवल त्रुटिपूर्वक online रोकड़ बही में दर्ज है, जबकि ऐसी कोई भी राशि पंचायत के पास नकद में उपलब्ध नहीं है। प्रस्तुत प्रत्युत्तर नियम प्रावधानों के प्रतिकूल एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त वर्णित माह के दौरान निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत रखी गई राशि का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए इस गंभीर अनियमितता की विभागीय स्तर पर समुचित विस्तृत जांच की जाये व तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में नियम प्रावधानों के प्रतिकूल एक हजार रूपये से अधिक राशि को अग्रदाय/इम्प्रेस्ट रूप में न रखा जाये।

4.4 लेखा खाता/खाता बही तैयार न करना: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 7 में लेखा खाता/खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के वित्तीय वर्ष 2023-24 की खाता बहियाँ/लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। अंकेक्षण अवधि की खाता

बहियाँ/ लेखा खाते तैयार न करने कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई व किस-किस कार्य पर कितना-कितना व्यय हुआ व कितनी राशि शेष थी।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/कच्छियारी दिनांक 16.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 16 दिनांक 16.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि लेखा खाता बही असंधारित है व भविष्य में नियमानुसार संधारण कर लिया जाएगा।

अत: इस अनियमितता बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार किए जाने सुनिश्चित किए जायें व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.5 बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप -11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार नहीं किया गया था अपितु कार्यवाही रजिस्टर में तैयार एवं पारित किया गया था। सचिव द्वारा निर्धारित प्रारूप -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/ अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन को निर्धारित प्रारूप -11 के अनुसार तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

5. निवेश

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया था। जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष स्व:-स्त्रोत में कृत व्यय की तुलना में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/कच्छियारी दिनांक 16.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 16 दिनांक 16.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में निवेश नहीं किया गया था। भविष्य में नियमानुसार सावधि निवेश कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत भविष्य में नियमानुसार सुधारात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6. अनुदान राशि ₹10.37 लाख का अवरोधन

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **9** के अनुसार पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है।

ANNUAL REPORT

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 21/2024 दिनांक 03.08.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जोकि **परिशिष्ट - " क "** व **परिशिष्ट - " ख "** पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से **₹10,37,251.77** की राशि उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अंतर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/कच्छियारी दिनांक 16.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 16 दिनांक 16.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अनुदान राशि का उपयोग कर लिया जाएगा।

अतः शेष अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इसके व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाना

सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

7. पंचायत राजस्व संपत्ति कर / गृहकर राशि ₹0.03 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

ANNUAL REPORT

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **34(2)** के अनुसार पंचायत को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों के बिना परादेय (outstanding) नहीं रखी जायेगी।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संपत्ति कर / गृहकर मांग व संग्रहण पंजिका अपूर्ण थी। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 01/2024/कच्छियारी दिनांक 06.08.2024 की अनुपालना में पत्र क्रमांक 12 दिनांक 06.08.2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार मांग व संग्रहण पंजिका अपूर्ण है व पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2022-23 व वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹100/- प्रति परिवार प्रति वर्ष की दर से गृह कर आरोपित किया था एवं राशि **₹2,560.00** के पंचायत राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.24 को शेष थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट - " घ "** पर संलग्न है। संपत्ति कर/गृहकर से संबंधित मांग व संग्रहण पंजिका अपूर्ण होने के कारण लम्बित गृह कर तथा वसूली का पूर्ण पता नहीं लगाया जा सका। संपत्ति कर/गृहकर की नियमित वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

वसूली हेतु शेष संपत्ति कर / गृहकर राशि का विवरण :-

अवधि	अथशेष	कुल परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग (कालम 2+5)	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि (कालम 6-7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2022-23	₹ 500.00	595	₹ 100.00	₹ 59,500.00	₹ 60,000.00	₹ 58,800.00	₹ 1,200.00
2023-24	₹ 1,200.00	645	₹ 100.00	₹ 64,500.00	₹ 65,700.00	₹ 63,140.00	₹ 2,560.00

उपरोक्त तालिका में वर्णित आंकड़ों से स्पष्ट है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/कच्छियारी दिनांक 16.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 16 दिनांक 16.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि गृहकर की मांग व संग्रहण पंजिका को पूर्ण कर लिया जाएगा व गृहकर की शीघ्र वसूली करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः पंचायत राजस्व किन कारणों से परादेय (outstanding) रहा, की तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुये लम्बित करों एवं बकाया पंचायत राजस्व राशियों की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार संपत्ति कर / गृहकर से सम्बन्धित मांग व संग्रहण पंजिका को पूर्ण कर प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की

जाये तथा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8. व्यय

ANNUAL REPORT

8.1 आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण सरकार को रॉयल्टी के रूप में राशि ₹0.95 लाख के राजस्व की संभावित वित्तीय हानि एवं लाखों के अनियमित भुगतानों की सम्भावना :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81 ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी सहित करना होगा। इसके अलावा निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या XEN-(RD&PR)-DB-General/2023-1/2024192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 अनुसार खनन सामग्री के क्रय हेतु भुगतान केवल आपूर्तिकर्ता द्वारा वैध ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाने उपरांत ही किया जाना अपेक्षित है।

विस्तृत अंकेक्षण हेतु चयनित माह 05/2022 व 07/2023 के व्यय बिल/वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रेत, बजरी, पत्थर की खरीद की गई थी परन्तु

ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता के खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति के सम्बन्ध में उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए। आपूर्तिकर्ता द्वारा वैध ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध न करवाने के बावजूद संबंधित बिल/वाउचरों का भुगतान ग्राम पंचायत द्वारा किया गया जो कि अनियमित एवं आपत्तिजनक है। परिणामस्वरूप राज्य सरकार को **परिशिष्ट - "ङ"** पर संलग्न विवरणानुसार रॉयल्टी के रूप में प्राप्त होने वाले राजस्व राशि **₹ 94,947.18** की संभावित वित्तीय हानि एवं वैध ट्रांजिट पास के अभाव में अंकेक्षणावधि के दौरान खनन सामग्री हेतु कृत समस्त भुगतान अनियमित प्रतीत होते हैं।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/कच्छियारी दिनांक 09.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 17 दिनांक 16.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास प्राप्त करना (फार्म-एक्स) सुनिश्चित नहीं किया गया व आपूर्तिकर्ता से ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) प्राप्त कर अंकेक्षण को प्रस्तुत कर दिये जाएंगे अथवा राशि **₹94,947.18** की वसूली आपूर्तिकर्ता से करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर नियमानुसार/समय-2 जारी निर्देशों के दृष्टिगत तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः नियम प्रावधानों एवं समय-2 पर जारी निर्देशों के विपरीत आपूर्तिकर्ता से वैध ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित किए बिना खनन सामग्री के बिल/वाउचरों का भुगतान करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये व

अंकेक्षणावधि के दौरान इस प्रकार कृत समस्त भुगतानों को नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा अंकेक्षणावधि में कृत समस्त अनियमित भुगतानों के सम्पूर्ण विवरण सहित सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी से पत्राचार कर तदानुसार अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अथवा अंकेक्षणावधि में कृत समस्त अनियमित भुगतानों के सम्पूर्ण विवरण सहित सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी से पत्राचार कर तदानुसार अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अथवा अंकेक्षणावधि में कृत समस्त अनियमित भुगतानों के पूर्ण विवरण सहित उन्हें सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये अन्यथा अंकेक्षणावधि में किये गये समस्त अनियमित भुगतानों की विभागीय स्तर पर विस्तृत जांच करें वस्तुस्थिति अनुसार उनकी वसूली उचित स्रोत से कर कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

8.2 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही ₹0.71 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना: -

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4), 67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने, निविदायें (Quotations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची, आपूर्ति आदेश इत्यादि औपचारिकतायें प्रावधित है।

विस्तृत अंकेक्षण हेतु चयनित माह 05/2022 व 07/2023 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि पंचायत द्वारा राशि **₹71,168.28.00** के स्टॉक/स्टोर का क्रय

औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट " च "** में दिया गया है, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/कच्छियारी दिनांक 09.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 17 दिनांक 16.08.2024 द्वारा बताया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में तथा कार्य की आकस्मिकता के कारण उस समय निविदायें नहीं ली जा सकी व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये कृत व्यय को सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने उपरान्त ही स्टॉक/स्टोर का क्रय,भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8.3 स्थायी व अस्थायी भण्डार राशि ₹14.45 लाख का भंडारण पुस्तिकाओं में इन्द्राज न करना:-

ANNUAL REPORT

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (ए, बी, सी व डी) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किये गए भंडार का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25 से 28 में लेखांकन किया जाना है।

विस्तृत अंकेक्षण हेतु चयनित माह 05/2022 व 07/2023 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि पंचायत द्वारा **₹14,45,310.08** के भण्डार को भंडार पुस्तकों में

दर्ज नहीं किया गया था, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " छ "** में दिया गया है। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण न केवल अनियमित एवं आपत्तिजनक है एवं धन एवं सामग्री के दुरूपयोग या दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी अंकेक्षण में इन्कार नहीं किया जा सकता है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/कच्छियारी दिनांक 09.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 17 दिनांक 16.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि आकस्मिकता एवं समय के अभाव के कारण स्टॉक/स्टोर का स्टॉक रजिस्टर में लेखांकन नहीं किया गया है व इसे लेखांकित कर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। प्रस्तुत प्रतिउत्तर नियम प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्यरहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है।

अत :क्रय किये गये प्रत्येक सामान का नियमानुसार समुचित इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति को रोका जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

NNUAL
EPORT

8.4 13वां वित्त आयोग रोकड़ बही में राशि ₹8.31 लाख की अनुचित/असमर्थित प्रविष्टियाँ पाया जाना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10 के अनुसार ग्राम पंचायत खाता से प्रत्येक आहरण, प्राप्ति की ओर तथा निक्षेप संवितरण की ओर रोकड़ बही में शीघ्रता: प्रविष्टि किया जाएगा व उक्त खातों की पासबुक(कें) बनाई रखी जाएंगी।

अंकेक्षण के दौरान 13वां वित्त आयोग (13thFC) की रोकड़ बही के अंकेक्षण पर पाया गया कि रोकड़ बही में कुल राशि **₹8,30,769.66.00** (वा०सं०THFC/2023-24/P/1 दिनांक 31.03.2024 राशि ₹69,336.00 व THFC/2023-24/P/2 दिनांक 31.03.2024 राशि ₹7,61,433.66) की भुगतान प्रविष्टियाँ दर्ज की गई थीं, जिसके समर्थन में कोई बिल/ अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया व बैंक पास बुक से मिलान करने पर भी इस प्रकार का कोई लेन देन नहीं पाया गया, जिस कारण उक्त प्रविष्टियाँ अनुचित/असमर्थित प्रतीत होती हैं।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/कच्छियारी दिनांक 09.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 17 दिनांक 16.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि यह त्रुटि केवल 13वां वित्त आयोग (13thFC) की online रोकड़ बही में है व इसे दुरुस्त करने हेतु उक्त वाउचरों को प्रविष्ट किया गया था जबकि वास्तव में यह स्कीम बंद हो चुकी है व संबंधित बैंक खाता संख्या 50055764493 शून्य है। प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं है।

अतः इस अनियमितता बारे विभागीय स्तर पर 13वां वित्त आयोग (13thFC) रोकड़ बही की विस्तृत जांच की जाये व तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा अनुचित एवं असमर्थित राशि की उचित स्रोत से वसूली कर कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाये।

8.5 आपूर्तिकर्ता के बिलों से स्त्रोत पर राशि ₹0.24 लाख के जी.एस.टी. टी.डी.एस. की अपेक्षित कटौती न करना :-

ANNUAL REPORT

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि०प्र० आबकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part(278/25)-29056 दिनांक 29.09.20218 के अनुसार किसी भी व्यक्ति/फर्म/संस्था/स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local Authority/Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट के अन्तर्गत ₹2,50,000.00 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1%CGST + 1%SGST – अंतर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% IGST - अंतर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती संबंधित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले संबंधित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान बिल/वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता Laxmi Traders को Interlock Tiles के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल राशि ₹12,07,487.80 का भुगतान किया गया जिस पर नियमानुसार आपूर्तिकर्ता से जी.एस.टी.टी.डी.एस. के रूप में भुगतान की गई राशि से 2% की दर से राशि **₹24,149.75** की कटौती नहीं की गई थी जोकि नियमानुसार अनुचित प्रक्रिया है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/कच्छियारी दिनांक 09.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया,

जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 17 दिनांक 16.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में आपूर्तिकर्ता से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती नहीं की गई थी जिस पर नियमपूर्वक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर नियम प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती किए बिना आपूर्तिकर्ता को बिल/वाउचरों के भुगतान को तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा कटौती योग्य जी.एस.टी. टी.डी.एस. की अपेक्षित राशि की वसूली आपूर्तिकर्ता से करने उपरांत सम्पूर्ण राशि संबंधित विभाग में जमा करवाई जाए अन्यथा किसी संशय की स्थिति में सम्बन्धित विभागीय जिला अधिकारी से पत्राचार कर तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

9. निर्माण कार्य Children Park Ward No 2 में राशि ₹0.05 लाख का अपेक्षाकृत अधिक/अनियमित भुगतान की अंकेक्षण के दौरान वसूली बारे: -

ANNUAL REPORT

निर्माण कार्य **Children Park Ward No 2** का संबंधित प्राक्कलन व माप पुस्तिका के अवलोकन पर पाया गया कि माप पुस्तिका में Concrete Tile (Paver) की निष्पादित मात्रा निर्धारित मापदंडों के अनुसार निष्पादन योग्य मात्रा से अधिक दर्शाया गया जिसके कारण निर्माण सामग्री रेत बजरी के क्रय हेतु राशि **₹4602.50** का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

कार्य का नाम :	**C/0 Children Park Ward No 2**						
शीर्ष :	**15वां वित्त आयोग (15TH FC)**						
स्वीकृत राशि:	**₹3,00,000.00**						
कुल व्यय राशि :	**₹2,91,124.00**						
एम० बी० संख्या / पृ० सं०	**17757 पृ०सं० 69 से 72**						
बिल संख्या/दिनांक	**1275 / 18.04.2022**						
आपूर्तिकर्ता	**Magic Base Concrete Works**						
वाउचर संख्या/दिनांक	**73/21.05.2022**						
स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ सं०	**लेखांकन नहीं किया गया है।**						
क्र०	सामग्री का नाम	क्रय की गई सामग्री	माप पुस्तिका अनुसार निष्पादित सामग्री की मात्रा	निष्पादन योग्य सामग्री की मात्रा	अन्तर	दर	राशि (₹)
1.	Concrete Tile (Paver)	**2645**	**2645**	**2381**	**264**	**₹17.5**	**₹4620**
						कुल योग	**₹4620**

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2024/कच्छियारी दिनांक 09.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 18 दिनांक 16.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को बताया गया कि राशि **₹4602.50** की वसूली बाबत रसीद संख्या कर ली गई है व इस राशि को बैंक खाता संख्या सभा निधि 20033022552 में जमा करवा दिया गया है।

अंकेक्षण द्वारा उक्त राशि की वसूली की पुष्टि संबंधित रसीद, बैंक पास बुक एवं रोकड़ बही से कर ली गई है व सुझाव दिया जाता है कि इस प्रकार की त्रुटि को भविष्य में न दोहराया जाये तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि की पुनरावृति पर अंकुश लगाने हेतु

निर्माण कार्यों की नमूना जांच एवं भुगतान से पूर्व उच्च तकनीकी अधिकारियों से नियमानुसार सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

10. विविध अनियमितताएं :-

10.1 हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 104(2)(1) व 105 के अनुसार निर्माण कार्यों की नमूना जाँच, माप पुस्तिका में स सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत करवाए गए कार्यों के मूल्याकनों की माप पुस्तिकाएं तकनीकी सहायक द्वारा लिखी गई थीं, परन्तु माप पुस्तिका में नियमानुसार किसी भी सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा प्रविष्टियों का सत्यापन व परीक्षण जांच नहीं किया गया था नियम 101 (ग) के अनुसार तकनीकी सहायकों की माप पुस्तिकाओं को कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करना अपेक्षित है, जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही थी, जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

10.2 हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अनुसार प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए एक अनुभागी / संकर्म समिति बनाए जाने का प्रावधान है जो कि नियमानुसार निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत के साथ उपरोक्त नियमों के "परिशिष्ट -ई" में दिए गये अनुबंध हस्ताक्षरित करेगी तथा उस कार्य विशेष के निष्पादन की देखरेख के लिए हर तरह से उत्तरदायी होगी।

अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नियम की अनुपालना नहीं की जा रही थी तथा निर्माण कार्यों का निष्पादन पंचायत द्वारा अपने ही स्तर पर करवाया जा रहा था, जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

10.3 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि ₹0.04 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे : -

ANNUAL REPORT

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या "0235-00-800-03" में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त कुल राशि **₹3,725.00** को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था, जिस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 02/2024/कच्छियारी दिनांक 06.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 13 दिनांक 07.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया व जल्द ही नियमानुसार प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अथवा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवा कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अथवा किसी संशय की स्थिति में सम्बन्धित विभागीय जिला अधिकारी से पत्राचार कर तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

11. नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेख का अनुरक्षण न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि न केवल अनियमित व आपत्तिजनक है बल्कि लेखांकन प्रक्रिया में पूर्णता एवं पारदर्शिता के अभाव में किसी भी स्तर पर धन एवं सामग्री के रिसन (leakage), दुर्विनियोजन अथवा दुरूपयोग की सम्भावना से भी अंकेक्षण में इन्कार नहीं किया जा सकता :-

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	संदर्भित नियम	प्रारूप
1.	माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
2.	निवेश रजिस्टर	12(1) व 27(1)	01
3.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	15(1)	----
4.	वर्गीकृत सार	29 (4)	8
5.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	30	09
6.	बजट प्राक्कलन	37	11
7.	अनुदान रजिस्टर	61(1)	21
8.	डाक टिकट रजिस्टर	61(2)	24
9.	तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आकलन का रजिस्टर	95(1)	31
10.	निर्माण कार्य रजिस्टर	103	--------

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 03/2024/कच्छियारी दिनांक 07.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 14 दिनांक 08.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त सभी रजिस्टरों को भविष्य में संधारित कर लिया जाएगा व इस विषय पर कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर सभी रजिस्टरों को नियमानुसार संधारित करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 **भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-**

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया था, जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/कच्छियारी दिनांक 09.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 17 दिनांक 16.08.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में नियमित रूप से भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा।

प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अत: अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत मामले में नियमानुसार

अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

13 **लघु-आपत्ति विवरणिका :-** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

14 **निष्कर्ष** :- हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों एवं समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही जिस कारण से लेखों के रख-रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

19 OCT 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009

का० / प्रति०
4731 – 4735

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)255 / 2019—खण्ड—1 दिनाँक, शिमला—09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ / आवश्या कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला—4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भवारना, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत कच्छियारी, विकास खण्ड भवारना, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

19 OCT 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009

का० / प्रति०

(परिशिष्ट " क " पैरा संख्या " 5(क) " के संदर्भ में)

ANNEXURE -1

FINANCIAL POSITION OF GP KACHHIARI FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

1 OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	195221.52	104917.00	300138.52	90717.00	209421.52
2023-24	209421.52	76602.00	286023.52	76936.14	209087.38

2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	2700394.43	7647616.00	10348010.43	7678373.00	2669637.43
2023-24	2669637.43	2709037.00	5378674.43	4341422.66	1037251.77

Secretary
Gram Panchayat Kachhiari
Dev. Block, Kangra (H.P.)

(परिशिष्ट "20" पैरा संख्या "4(क)" के संदर्भ में)

ANNEXURE -2

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP KACHHIARI FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	5th SFC/ MMGPY/ SDRF	2022-23	202721.77	549065.00	751786.77	407644.00	344142.77
		2023-24	344142.77	571388.00	915530.77	669418.00	246112.77
2	IAY	2022-23	2897.00	83.00	2980.00	0.00	2980.00
		2023-24	2980.00	92.00	3072.00	0.00	3072.00
3	VKVNY	2022-23	22212.00	982.00	23194.00	0.00	23194.00
		2023-24	23194.00	707.00	23901.00	0.00	23901.00
4	SDP	2022-23	822.00	24.00	846.00	0.00	846.00
		2023-24	846.00	24.00	870.00	0.00	870.00
5	13th FC	2022-23	933033.66	0.00	933033.66	0.00	933033.66
		2023-24	933033.66	0.00	933033.66	830769.66	102264.00
6	15th FC	2022-23	1538708.00	1476533.00	3015241.00	1649800.00	1365441.00
		2023-24	1365441.00	403491.00	1768932.00	1107900.00	661032.00
7	SBM (PFMS)	2022-23	0.00	436307.00	436307.00	436307.00	0.00
		2023-24	0.00	210000.00	210000.00	210000.00	0.00
8	MGNREGA	2022-23	0.00	5184622.00	5184622.00	5184622.00	0.00
		2023-24	0.00	1523335.00	1523335.00	1523335.00	0.00

Secretary
Gram Panchayat Kachhiari
Dev. Block, Kangra (H.P.)

(परिशिष्ट " ग " पैरा संख्या " 4(ख) " के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत कच्छियारी, वि०ख० कांगड़ा, ज़िला कांगड़ा, हि०प्र० 176001

ग्राम पंचायत कच्छियारी के दिनांक 31.03.2024 को बैंक शेष व रोकड़ बही में अंतर :-

क्र०सं०	शीर्ष	बैंक	खाता सं०	बैंक अंत शेष 31.03.2024	कुल बैंक अंत शेष 31.03.2024	रोकड़ बही अंत शेष 31.03.2024
1	सभा निधि (Own Source)	KCCB कांगड़ा	20033022552	119444.86	187570.28	209087.38
2		BOM कांगड़ा	60155048110	25426.00		
3		हि.ग्रा.बैंक कांगड़ा	0120466	42699.42		
4	5वां राज्य वित्त (5th SFC)/राज्य आपदा राहत कोश (SDRF)/ मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना (MMGPY)	KCCB कांगड़ा	50055764482	244012.77	244012.77	246112.77
5	इंदिरा आवास योजना (IAY)	KCCB कांगड़ा	50055764391	3072.00	3072.00	3072.00
6	विधायक क्षेत्र विकास निधि (VKVNY)	KCCB कांगड़ा	50055764460	23943.00	23943.00	23901.00
7	क्षेत्रिय विकेंद्रीकृत योजना (SDP)	BOM कांगड़ा	60155048041	870.00	870.00	870.00
8	13 वां वित्त आयोग (13th FC)	KCCB कांगड़ा	50055764493	0.00	0.00	102264.00
9	15 वां वित्त आयोग (15th FC)	केनरा बैंक मारंडा	50100347348803	661032.00	661032.00	661032.00
		हस्तगत नकद शेष (Own Source)		18052.00	18052.00	0.00
		हस्तगत नकद शेष (5th SFC)		12276.00	12276.00	0.00
		हस्तगत नकद शेष (13th FC)		50000.00	50000.00	0.00
		कुल योग		1200828.05	1200828.05	1246339.15

दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-	
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वितीय स्थिति के अनुसार पैरा- 4(क) अन्तशेष :-	**1246339.15**
पंचायत के बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेष:-	**1200828.05**
अंतर :-	**45511.10**

U.A.

Sanjay Kumar

Secretary
Gram Panchayat Kachhiari
Dev. Block, Kangra (H.P.)

(परिशिष्ट "घ" पैरा संख्या " 7 " के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत कच्छियारी, वि०ख० कांगड़ा, ज़िला कांगड़ा, हि०प्र० 176001

दिनांक 31-03-2024 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष सम्पत्ति कर/ गृहकर:-

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्या 2022-23 में 595 तथा 2023-24 में 645 परिवारों का ₹100/- प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से:-

वित्तीय वर्ष	अथशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2022-23	₹ 500.00	595	₹ 100.00	₹ 59,500.00	₹ 60,000.00	₹ 58,800.00	₹ 1,200.00
2023-24	₹ 1,200.00	645	₹ 100.00	₹ 64,500.00	₹ 65,700.00	₹ 63,140.00	₹ 2,560.00
	नोट:- दिनांक 31.03.2024 को बकाया गृहकर की राशि **₹2560/-** है।						

Sanjay Kumar

J.A.

Secretary
Gram Panchayat Kachhiari
Dev. Block, Kangra (H.P.)

परिशिष्ट "ड." ", पैरा संख्या " 8.1 " के संदर्भ में

ग्राम पंचायत कच्छियारी द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण सरकार को राशी ₹0.95 लाख के राजस्व की सम्भावित वित्तीय हानि का विवरण

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा० सं० / दिनांक	बिल सं०/ दिनांक	मद का नाम	Qty (Cum)	Determining Factor	Qty MT	Royality (Per MT)	Due Royality
	मनरेगा								
1	Vivek Kumar	Nil /17/05/2022	426 /10/06/2021	Sand	6.00	1.62	9.720	80.00	777.60
2				Aggrigate	10.10	1.52	15.352	80.00	1228.16
3	GMP Supplies	Nil /22/08/2022	558/01/04/2022	Sand	15.17	1.62	24.575	80.00	1966.03
4				Aggrigate	28.72	1.52	43.654	80.00	3492.35
5	Jai Naina Construction	Nil/ 01/03/2023	217/ 05/08/2022	Sand	11.07	1.62	17.933	80.00	1434.67
6				Aggrigate	20.96	1.52	31.859	80.00	2548.74
7	Jai Naina Construction	Nil/ 01/03/2023	225/ 05/08/2022	Boulder	0.13	2.24	0.291	80.00	23.30
8	Jai Naina Construction	Nil/ 01/03/2023	252/ 05/08/2022	Sand	17.84	1.62	28.901	80.00	2312.06
9				Aggrigate	28.48	1.52	43.290	80.00	3463.17
10	Jai Naina Construction	Nil/ 01/03/2023	220/ 05/08/2022	Sand	5.03	1.62	8.149	80.00	651.89
11				Aggrigate	9.53	1.52	14.486	80.00	1158.85
12	Jai Naina Construction	Nil /22/08/2022	507/ 01/04/2022	Sand	12.15	1.62	19.683	80.00	1574.64
13				Aggrigate	22.95	1.52	34.884	80.00	2790.72
14	GMP Supplies	Nil /22/08/2022	558/01/04/2022	Sand	7.90	1.62	12.798	80.00	1023.84
15				Aggrigate	21.30	1.52	32.376	80.00	2590.08
16	GMP Supplies	Nil /22/08/2022	560/01/04/2022	Sand	9.49	1.62	15.374	80.00	1229.90
17				Aggrigate	17.90	1.52	27.208	80.00	2176.64
18	GMP Supplies	Nil /22/08/2022	559/01/04/2022	Sand	4.79	1.62	7.760	80.00	620.78
19				Aggrigate	9.05	1.52	13.756	80.00	1100.48
20	GMP Supplies	Nil/ 01/03/2022	231/10/04/2022	Sand	14.12	1.62	22.874	80.00	1829.95
21				Aggrigate	13.40	1.52	20.368	80.00	1629.44
22	GMP Supplies	Nil/ 01/03/2023	667/10/04/2022	Sand	14.27	1.62	23.117	80.00	1849.39
23				Aggrigate	26.98	1.52	41.010	80.00	3280.77
24	Jai Naina Construction	Nil/ 01/03/2023	211/05/09/2022	Sand	12.30	1.62	19.926	80.00	1594.08
25				Aggrigate	9.51	1.52	14.455	80.00	1156.42
26	Jai Naina Construction	Nil /17/03/2022	257/17/08/2022	Sand	7.49	1.62	12.134	80.00	970.70
27				Aggrigate	8.21	1.52	12.479	80.00	998.34
28	Jai Naina Construction	Nil/ 01/03/2023	227/10/08/2022	Sand	13.86	1.62	22.453	80.00	1796.26
29				Aggrigate	26.21	1.52	39.839	80.00	3187.14
30	Jai Naina Construction	Nil/ 01/03/2023	207/10/08/2022	Sand	13.15	1.62	21.303	80.00	1704.24
31				Aggrigate	15.77	1.52	23.970	80.00	1917.63
32	Jai Naina Construction	Nil/ 01/03/2023	204/04/05/2022	Sand	14.00	1.62	22.680	80.00	1814.40
33				Aggrigate	14.99	1.52	22.785	80.00	1822.78
34	Jai Naina Construction	Nil/ 01/03/2023	201/16/08/2022	Sand	11.99	1.62	19.424	80.00	1553.90
35				Aggrigate	11.15	1.52	16.948	80.00	1355.84
36	GMP Supplies	Nil/ 01/03/2023	658/05/08/2022	Sand	9.28	1.62	15.034	80.00	1202.69
37				Aggrigate	6.22	1.52	9.454	80.00	756.35
38	GMP Supplies	Nil/ 01/03/2023	664/05/08/2022	Sand	9.97	1.62	16.151	80.00	1292.11
39				Aggrigate	13.19	1.52	20.049	80.00	1603.90
40	Jai Naina Construction	Nil/ 01/03/2023	214/12/09/2022	Sand	11.34	1.62	18.371	80.00	1469.66
41				Aggrigate	11.33	1.52	17.222	80.00	1377.73
	15वां वित्त आयोग (15TH FC)								
42	Vivek Kumar	XVFC/2022-23/P/15 dt17.05.2022	510/ 24/04/2022	Sand	4.80	1.62	7.776	80.00	622.08
43				Aggrigate	5.34	1.52	8.117	80.00	649.34
44				Boulder	10.06	2.24	22.534	80.00	1802.75
45	GMP Supplies	XVFC/2022-23/P/22 dt20.05.2022	555/18/05/2022	Sand	1.64	1.62	2.657	80.00	212.54
46				Aggrigate	3.09	1.52	4.697	80.00	375.74
	राज्य आपदा राहत कोश (SDRF)								
47	GMP Supplies	5THSFC/2023-24/ P/ 13 dt 07.07.2023	767/28/06/2023	Sand	7.00	1.62	11.340	80.00	907.20
48				Aggrigate	13.03	1.52	19.798	80.00	1583.84
49				Boulder	8.24	2.24	18.458	80.00	1476.61
								Total	75957.74
								Panelity @ 25 %	18989.4
								कुल राशी	94947.18

GRS Gram Panchayat Kachhiari Dev. Block Kangra (H.P.)

Technical Assistant Gram Panchayat, Kachhiari Dev. Block Kangra (HP)

Panchayat Secretary Gram Panchayat Kachhiari Dev. Block Kangra H.P.

परिशिष्ट "च", पैरा संख्या "8.2" के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत कच्छियारी द्वारा औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना राशी ₹0.71 लाख की सामग्री/स्टॉक के क्रय का विवरण

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा० सं०/दिनांक	बिल सं०/दिनांक	मद का नाम	मात्रा	दर	राशी (Gstसहित)	टिप्पणी
	15 वां वित्त आयोग							
1	M/S Mohindra Engineering Works	XVFC/2022-23/P/11 dt 12.05.2022	280/05.05.2022	हैन्ड पम्प विद हैन्डल	1	3850	₹ 3,850.00	निविदायें प्रस्तुत नहीं की गई
2				पाइप 1" PVCH	2	1000	₹ 2,000.00	
3				1" x 6" नीपल	1	100	₹ 100.00	
4				1" x 9" नीपल	1	160	₹ 160.00	
5				1 1/4" x 3" नीपल	1	50	₹ 50.00	
6				1" एलबो	2	75	₹ 150.00	
7				Red सोकट 1 1/4" x 1"	1	100	₹ 100.00	
8				धागा	1	10	₹ 10.00	
9				फ्लोट वाल्व	1	80	₹ 80.00	
10	M/S Mohindra Engineering Works	XVFC/2022-23/P/12 dt 12.05.2022	282/05.05.2022	हैन्ड पम्प विद हैन्डल	1	3850	₹ 3,850.00	निविदायें प्रस्तुत नहीं की गई
11				पाइप 1" PVCH	2	1000	₹ 2,000.00	
12				1" x 6" नीपल	1	100	₹ 100.00	
13				1" x 9" नीपल	1	160	₹ 160.00	
14				1 1/4" x 3" नीपल	1	50	₹ 50.00	
15				1" एलबो	2	75	₹ 150.00	
16				Red सोकट 1 1/4" x 1"	1	100	₹ 100.00	
17				धागा	1	10	₹ 10.00	
18				फ्लोट वाल्व	1	80	₹ 80.00	
19	Magic Base Concrete Works	XVFC/2022-23/P/17 dt 17.05.2022	1172/12.05.2022	Railing Square Pipe	100	150	₹ 15,000.00	निविदायें प्रस्तुत नहीं की गई
20	M/S Saini Ply House	XVFC/2022-23/P/21 dt 19.05.2022	336/05.05.2022	14" Cutter wheel	1	127	₹ 149.86	
21				W Rod	2	119	₹ 280.84	
22				Angle Channel 75x40	218	74.57	₹ 19,182.39	
23				Flat 40x5	55	74.57	₹ 4,839.59	
24				Labour Carriage	1	284	₹ 284.00	
25	Dhiman Timber Traders	XVFC/2023-24/P/13 dt 26.07.2023	4687/20.07.2023	Door Shutter Imported Woo	1	5500	₹ 6,490.00	निविदायें प्रस्तुत नहीं की गई

Sanjay Kumar
Secretary
Gram Panchayat Kachhiari
Dev. Block, Kangra (H.P.)

38

26	Manish Hardware Store	XVFC/2023-24/P/14 dt 26.07.2023	5003/ 04.07.2023	PVC Tasla 18"	2	170	₹ 401.20	निविदायें प्रस्तुत नहीं की गई
27				G Brown Paint 1 Ltr	2	300	₹ 708.00	
28				Wood Primer 1 Ltr	2	255	₹ 601.80	
29				Black Paint 1 Ltr	1	300	₹ 354.00	
30				White Paint 1 Ltr	1	320	₹ 377.60	
31				Off White Paint 1/2 Ltr	1	150	₹ 177.00	
32				Tarpen 1 Ltr	2	120	₹ 283.20	
33				Red Oxide 1/2 Ltr	1	120	₹ 141.60	
34				Putty 20 kg	9	370	₹ 3,929.40	
35				Brush 75mm	2	70	₹ 165.20	
36				Patti 8"	2	21	₹ 49.56	
37				Jaali 5x21	1	25	₹ 3,097.50	
38				Kabza 4"	3	21	₹ 74.34	
39				Screw 35x8	1	42	₹ 49.56	
40			5007/05.07.2023	Plumbing pipe 1/2"	1	230	₹ 271.40	निविदायें प्रस्तुत नहीं की गई
41				GI Union 1/2"	1	50	₹ 59.00	
42				Elbow 1/2"	4	22	₹ 103.84	
43				Socket 1/2"	4	17	₹ 80.24	
44				Nipple 1/2x2"	2	7	₹ 33.04	
45				Nipple 1/2x6"	2	7	₹ 99.12	
46				Tap	1	50	₹ 59.00	
47				Handle 6"	2	60	₹ 141.60	
48				T Lock 6"	2	50	₹ 118.00	
49				Moulding 1 1/4"	60	8	₹ 566.40	
						कुल जोड़	₹ 71,168.28	

Sanjay Kumar

Secretary
Gram Panchayat Kachhiari
Dev. Block, Kangra (H.P.)

39

352

परिशिष्ट "ट9", पैरा संख्या "8.3" के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत कच्छियारी द्वारा क्रय किये गये राशी ₹14.45 लाख की सामग्री का विवरण जिसका स्टॉक रजिस्टर में लेखांकन नहीं किया गया है

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/दिनांक	बिल सं०/दिनांक	मद का नाम	मात्रा	दर	राशी GST सहित
	15 वां वित्त आयोग						
1	M/S Mohindra Engineering Works	XVFC/2022-23/P/11 dt 12.05.2022	280/05.05.2022	हैन्ड पम्प विद हैन्डल	1	3850	₹ 3,850.00
2				पाइप 1" PVCH	2	1000	₹ 2,000.00
3				1" x 6" नीपल	1	100	₹ 100.00
4				1" x 9" नीपल	1	160	₹ 160.00
5				1 1/4" x 3" नीपल	1	50	₹ 50.00
6				1" एलबो	2	75	₹ 150.00
7				Red सोकट 1 1/4" x 1"	1	100	₹ 100.00
8				धागा	1	10	₹ 10.00
9				फ्लोट वाल्व	1	80	₹ 80.00
10	M/S Mohindra Engineering Works	XVFC/2022-23/P/12 dt 12.05.2022	282/05.05.2022	हैन्ड पम्प विद हैन्डल	1	3850	₹ 3,850.00
11				पाइप 1" PVCH	2	1000	₹ 2,000.00
12				1" x 6" नीपल	1	100	₹ 100.00
13				1" x 9" नीपल	1	160	₹ 160.00
14				1 1/4" x 3" नीपल	1	50	₹ 50.00
15				1" एलबो	2	75	₹ 150.00
16				Red सोकट 1 1/4" x 1"	1	100	₹ 100.00
17				धागा	1	10	₹ 10.00
18				फ्लोट वाल्व	1	80	₹ 80.00
19	Magic Base Concrete Works	XVFC/2022-23/P/17 dt 17.05.2022	1172/12.05.2022	Railing Square Pipe	100	150	₹ 15,000.00
20	M/S Saini Ply House	XVFC/2022-23/P/21 dt 19.05.2022	336/05.05.2022	14" Cutter wheel	1	127	₹ 149.86
21				W Rod	2	119	₹ 280.84
22				Angle Channel 75x40	218	74.57	₹ 19,182.39
23				Flat 40x5	55	74.57	₹ 4,839.59
24	Dhiman Timber Traders	XVFC/2023-24/P/13 dt 26.07.2023	4687/20.07.2023	Door Shutter Imported Wood	1	5500	₹ 6,490.00
25	Manish Hardware Store	XVFC/2023-24/P/14 dt 26.07.2023	5003/ 04.07.2023	PVC Tasla 18"	2	170	₹ 401.20
26				G Brown Paint 1 Ltr	2	300	₹ 708.00
27				Wood Primer 1 Ltr	2	255	₹ 601.80
28				Black Paint 1 Ltr	1	300	₹ 354.00
29				White Paint 1 Ltr	1	320	₹ 377.60
30				Off White Paint 1/2 Ltr	1	150	₹ 177.00
31				Tarpen 1 Ltr	2	120	₹ 283.20
32				Red Oxide 1/2 Ltr	1	120	₹ 141.60
33				Putty 20 kg	9	370	₹ 3,929.40
34				Brush 75mm	2	70	₹ 165.20
35				Patti 8"	2	21	₹ 49.56
36				Jaali 5x21	1	25	₹ 3,097.50
37				Kabza 4"	3	21	₹ 74.34
38				Screw 35x8	1	42	₹ 49.56
39			5007/05.07.2023	Plumbing pipe 1/2"	1	230	₹ 271.40
40				GI Union 1/2"	1	50	₹ 59.00
41				Elbow 1/2"	4	22	₹ 103.84
42				Socket 1/2"	4	17	₹ 80.24
43				Nipple 1/2x2"	2	7	₹ 33.04
44				Nipple 1/2x6"	2	7	₹ 99.12
45				Tap	1	50	₹ 59.00
46				Handle 6"	2	60	₹ 141.60
47				T Lock 6"	2	50	₹ 118.00
48				Moulding 1 1/4"	60	8	₹ 566.40
49	Laxmi Traders	XVFC/2023-24/P/11 dt 22.07.2023	541/16.07.2023	Interlock Tiles 60 mm White	3200	18	₹ 67,968.00
50				Interlock Tiles 60 mm Red	1800	20	₹ 42,480.00
	मनरेगा						
51	Laxmi Traders	Nil/21.05.2022	55/21.01.2022	Interlock Tiles 60 mm White	2850	17.9	₹ 51,015.00
52				Interlock Tiles 60 mm Red	900	18.9	₹ 17,010.00
53	Laxmi Traders	Nil/21.05.2022	56/21.02.2022	Interlock Tiles 60 mm White	5816	17.9	₹ 1,04,106.40
54	Laxmi Traders	Nil/21.05.2022	57/21.02.2022	Interlock Tiles 60 mm Red	2500	18.9	₹ 47,250.00
55	Laxmi Traders	Nil/21.05.2022	58/21.02.2022	Interlock Tiles 60 mm White	5816	17.9	₹ 1,04,106.40
56	Laxmi Traders	Nil/21.05.2022	59/21.02.2022	Interlock Tiles 60 mm Red	2500	18.9	₹ 47,250.00
57	Laxmi Traders	Nil/21.05.2022	60/21.02.2022	Interlock Tiles 60 mm White	5000	17.9	₹ 89,500.00
58	Laxmi Traders	Nil/21.05.2022	61/21.02.2022	Interlock Tiles 60 mm Red	1930	18.9	₹ 36,477.00
59	Laxmi Traders	Nil/17.05.2022	64/05.03.2022	Interlock Tiles 60 mm White	6000	17.9	₹ 1,07,400.00
60	Laxmi Traders	Nil/17.05.2022	65/05.03.2022	Interlock Tiles 60 mm Red	1920	18.9	₹ 36,288.00
61	Laxmi Traders	Nil/17.05.2022	66/09.03.2022	Interlock Tiles 60 mm Red	1000	18.9	₹ 18,900.00
62	Laxmi Traders	Nil/17.05.2022	67/09.03.2022	Interlock Tiles 60 mm White	3620	17.9	₹ 64,798.00
63	Laxmi Traders	Nil/17.05.2022	68/09.03.2022	Interlock Tiles 60 mm White	4830	17.9	₹ 86,457.00

P.T.O.

64	Laxmi Traders	Nil/17.05.2022	69/09.03.2022	Interlock Tiles 60 mm Red	2000	18.9	₹ 37,800.00
65	Laxmi Traders	Nil/21.05.2022	043/21.01.2022	Interlock Tiles 60 mm White	6450	17.9	₹ 1,15,455.00
66				Interlock Tiles 60 mm Red	3000	18.9	₹ 56,700.00
67	Laxmi Traders	Nil/21.05.2022	0453/21.01.2022	Interlock Tiles 60 mm White	6750	17.9	₹ 1,20,825.00
68				Interlock Tiles 60 mm Red	3500	18.9	₹ 66,150.00
69	Magic Base Concrete Works	Nil/21.05.2022	1024/25.11.2021	Concrete Board 4 1/2 ' x 2'	1	2900	₹ 2,900.00
70	Magic Base Concrete Works	Nil/21.05.2022	1023/25.12.2021	Concrete Board 4 1/2 ' x 2'	1	2900	₹ 2,900.00
71	Magic Base Concrete Works	Nil/21.05.2022	1034/07.01.2022	Concrete Board 4 1/2 ' x 2'	1	2900	₹ 2,900.00
72	Magic Base Concrete Works	Nil/21.05.2022	1025/25.12.2021	Concrete Board 4 1/2 ' x 2'	1	2900	₹ 2,900.00
73	Star Nursery	Nil/21.05.2022	51/05.11.2021	Santra Plant	20	115	₹ 2,300.00
74				Mousami Plant	20	115	₹ 2,300.00
75				Gal Gal Plant	20	115	₹ 2,300.00
76				Lasada Plant	20	105	₹ 2,100.00
77				Anar Plant	10	105	₹ 1,050.00
78				Nimbu Plant	5	115	₹ 575.00
79				Harad Plant	5	85	₹ 425.00
80				Chaku Plant	5	115	₹ 575.00
81				Bada Plant	5	85	₹ 425.00
82	Star Nursery	Nil/21.05.2022	52/05.11.2021	Santra Plant	20	115	₹ 2,300.00
83				Mousami Plant	20	115	₹ 2,300.00
84				Gal Gal Plant	20	115	₹ 2,300.00
85				Lasada Plant	20	105	₹ 2,100.00
86				Anar Plant	10	105	₹ 1,050.00
87				Nimbu Plant	5	115	₹ 575.00
88				Harad Plant	5	85	₹ 425.00
89				Chaku Plant	5	115	₹ 575.00
90				Bada Plant	5	85	₹ 425.00
91	Sunshine Concrete Works	Nil/21.05.2022	155/05.11.2021	Tree Guard	110	189	₹ 20,790.00
					कुल योग		₹ 14,45,310.08

Technical Assistant
Gram Panchayat, Kachhian
Dev. Block Kangra (HP)

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Kachhian
Dev. Block Kangra (H. P.)

41

87